कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 98 / 1-13 देहरादून दिनांक, 08 जून, 2022

पदोन्नति / तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं0 55 / 1–12(29) एच0आर0डी0 दिनांक 05–01–2022 से पात्रता मे शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1185 / 1–12 दिनांक 07–01–2022 द्वारा प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 10–01–2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित **वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 29200–92300 लेवल–5 के कार्मिक को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400–1,12,400 लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत** कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख **कॉलम–4** में अंकित कार्यालय में की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री राम सिंह रावत	प्र0व0,तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	प्र0व0, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (ForgO) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि **से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के** अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।**

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

सं0 2072 (1) / 1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मु0व0सं0,अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधूनिकीकरण,देहरादून,को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ उत्तराखण्ड नैनीताल।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
7. सम्बन्धि मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
9. अधिष्ठान / गार्ड बुक।

I.T.G.C
कृ. अपलोड करें

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

8/6/22